"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अप्रैल 2017—चैत्र 24, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 2-4/2017/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आशीष कुमार भट्ट (भा.व.से.-1988), सचिव छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार सचिव, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

2. श्री अनिल कुमार साहू (भा.व.से.-1990), सचिव, छ.ग. शासन, सचिव, ऊर्जा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 2-5/2017/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला (रा.प्र.से.), संयुक्त सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2017

क्रमांक-एफ 3-77/2016/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता हैं :—

क्र.	थाना/तह./जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है	प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-रनचिरई, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद.	चौकी-मचान्दुर, थाना-उतई, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद.	सिर्री	12
2.			कोसा	12
3.			तिलोदा	40
4.			तमोरा	12
5.			सुखरी	11
6.			पांगरी	11
7.	थाना-रनचिरई, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद.	थाना-अण्डा, तहसील-गुण्डरदेही जिला-बालोद.	सकरौद	10
8.			नहर खपरी	10
9.			डौकीडीह	08
10.	थाना-परपोड़ी, तहसील-साजा, जिला-बेमेतरा.	थाना-धमधा, तहसील-साजा जिला-बेमेतरा.	बुंदेली	27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.			लुक	27
12.	थाना-धमधा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग.	चौकी-देवकर, तहसील-साजा जिला-बेमेतरा.	भिंभौरी (देवरी)	06
13.	चौकी-पद्मनाभपुर, तहसील-दुर्ग जिला-दुर्ग.	थाना-पुलगांव, तहसील-दुर्ग जिला-दुर्ग.	सम्पूर्ण बोरसी क्षेत्र	23
14.			न्यू आदर्श नगर	23
15.			विद्युत नगर	23
16.	चौकी-पद्मनाभपुर, तहसील-दुर्ग जिला-दुर्ग.	थाना-उतई, तहसील-दुर्ग, जिला-दुर्ग	हनोदा	39
17.			धनोरा	39
18.	थाना-मोहन नगर, तहसील-दुर्ग, जिला-दुर्ग.	थाना-पुलगांव, तहसील-दुर्ग, जिला-दुर्ग	उरला	07
19.	थाना-भिलाई भट्ठी, तह.व जिला-दुर्ग	थाना-भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग	सेक्टर-2 भिलाई	22
20.	थाना-पुरानी भिलाई, तहसील-पाटन जिला-दुर्ग.	थाना-उतई, तह. व जिला-दुर्ग	सोमनी	12
21.			गनियारी	12
22.		थाना-जीआरपी चरोदा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग.	जोन-1 चरोदा	02
23.			भिलाई-3 का रेल्वे कालोनी.	02
24.	थाना-जामुल, तह. व जिला-दुर्ग.	थाना-पुरानी भिलाई, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग.	सुरडुंग	48

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2017

क्रमांक/एफ 7-34/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, (भापुसे-2010), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को दिनांक 06-03-2017 से दिनांक 20-03-2017 (कुल 15 दिवस) तक का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जायसवाल को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जायसवाल (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, (भापुसे-2010), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, का चालू प्रभार श्री एस. सी. द्विवेदी, सहायक पुलिस महानरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-4/2016/23.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2016 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.—** ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम (13) में यथा उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी;

   (ख) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (घ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

5. **भर्ती का तरीका.—** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा.

6. **आरक्षण.—**

(1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

7. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

8. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, नि:शक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

9. **निरसन.—** इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, संयुक्त सचिव.

अनुसूची
(नियम 2 देखिये)

स. क्र.	कर्तव्य पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सीधी भर्ती या पदोन्नति या स्थानान्तरण के माध्यम से भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	केवल सीधी भर्ती के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा या परीक्षण की कालावधि, यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में अर्हकारी सेवायें	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिये क्रमशः चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	दफ्तरी	01	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	100% पदोन्नति के माध्यम से	—	—	02 वर्ष	5 वर्ष	भृत्य	सदस्य सचिव द्वारा समय-समय पर समिति गठित की जायेगी	सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग
2.	भृत्य	11	—तदैव—	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	18-30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)	कक्षा 8वीं उत्तीर्ण	—तदैव—	—	—	—तदैव—	—तदैव—
3.	चौकीदार	02	—तदैव—	कलेक्टर दर	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—	—	—तदैव—	—तदैव—
4.	वाटरमेन	01	—तदैव—	कलेक्टर दर	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—	—	—तदैव—	—तदैव—
5.	फर्राश	01	—तदैव—	कलेक्टर दर	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—	—	—तदैव—	—तदैव—

Naya Raipur, the 22nd March 2017

No. F 1-4/2016 /23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to recruitment and conditions of the Chhattisgarh State Planning Commission (Class-IV) Services, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh State Planning Commission (Class- IV) Services Recruitment Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule as appended to these rules.

3. **Definitions.—** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of services means the Appointing Authority as mentioned in column (13) of the Schedule;

(b) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(c) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(d) "Other Backward Classes" means the other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(f) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(g) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(h) "Service" means the Chhattisgarh State Planning Commission (Class-IV) Services;

(i) "State" means the State of Chhattisgarh.

4. **Classification and scale of pay etc.—**The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appended to these rules;

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Method of recruitment.—** Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

(a) by direct recruitment, through Competitive examination or selection on the basis of merit;

(b) by promotion of members of the Service as specified in column (2) of Schedule.

6. **Reservation.—**

(1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of women) Rules, 1997.

7. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper;

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

8. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-Serviceman, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees, who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

9. **Repeal.—** All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHIKHA RAJPUT TIWARI, Joint Secretary.

SCHEDULE
(See rule 2)

Sr. No.	Name of the duty Post	Number of Duty Post	Classi-fication	Pay Scale	Percentage of number of duty posts to be filled in through Direct Recruitment or Promotion or Transfer	Only for Direct Recruitment		Period of Probation or trial, if any	Qualifying Services in case of promo-tions	Post from which promo-tion is to be made	Selection Committee/ Departmental promotion Committee for Direct Recruitment and Promotion respectively	Appointing Authority
						Age Limit	Necessary Education Qualification					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Daftari	01	Class IV	4750-7440 Grade Pay 1400	100% through promotions	—	—	02 years	5 years	Peon	Member Secretary, shall constitute the committee from time to time	Member Secretary, Chhattisgarh State Planning Commission
2.	Peon	11	—do—	4750-7440 Grade Pay1300	100% through direct recruitment	18-30 (35 years for bonafide resident of State of Chhattisgarh)	Standard 8th Passed	—do—	—	—	—do—	—do—
3.	Choukidar	02	—do—	Collector Rate	—do—	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—	—do—
4.	Waterman	01	—do—	Collector Rate	—do—	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—	—do—
5.	Farrash	01	—do—	Collector Rate	—do—	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—	—do—

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 38 क में,—

(क) उप-नियम (3) के परन्तुक में, शब्द "एक वर्ष" को शब्द "दो वर्षों" से प्रतिस्थापित किया जाये.

(ख) उप-नियम (4) के परन्तुक में, शब्द "एक वर्ष" को शब्द "दो वर्षों" से प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 12 अप्रैल 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th April 2017

No. F 6-42/2012/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In rule 38A,—

(a) in proviso to sub-rule (3), the words "one year", be substituted by the words "two years".

(b) in proviso to sub-rule (4), the words "one year", be substituted by the words "two years".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक 2157/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	पोड़ीउपरोड़ा	1.370 हेक्टेयर	पोंड़ी-बांगो मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 1-3-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन पोंड़ीउपरोड़ा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	पोंड़ी-बांगो मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 325.62 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	पोंड़ी-बांगो मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हो जाने से हसदेव नदी पर निर्मित मिनीमाता बांगो बांध परियोजना की दूरी लगभग 20 कि.मी. कम होगी तथा लोकहित में आवागमन के लिए सुगम व सरल रास्ता तैयार होगा.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक 2161/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	बांगो	0.773 हेक्टेयर	पोंड़ी-बांगो मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 3-3-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन बांगो नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	पोंड़ी-बांगो मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	05 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	05 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 325.62 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	पोंड़ी-बांगो मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हो जाने से हसदेव नदी पर निर्मित मिनीमाता बांगो बांध परियोजना की दूरी लगभग 20 कि.मी. कम होगी तथा लोकहित में आवागमन के लिए सुगम व सरल रास्ता तैयार होगा.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 15 फरवरी 2017

क्रमांक/173/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. 08/अ/82 वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	परसाभदेर	75	6.851 हे.	बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 09-3-2017 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) पंचायत भवन कोकड़ी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	50 व्यक्ति
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	6.851 हे.
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
आठ	परियोजना की कुल लागत	—	7,03,14,491.00
नौ	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन की सुविधा
दस	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख रुपये
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	टांगर प.ह.नं. 50	0.414	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	टांडापाली प.ह.नं. 50	0.150	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	बोईरडीह प.ह.नं. 49	0.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	माधोपाली प.ह.नं. 47	0.045	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	चिखली प.ह.नं. 47	0.308	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	खरवानी बड़े प.ह.नं. 46	0.788	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	ठेंगापाली प.ह.नं. 30	3.153	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-थानखम्हरिया
- (ग) नगर/ग्राम-डंगनिया, प.ह.नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
667/1	0.052
667/2	0.047
667/3	0.036
666	0.050
665	0.016
669/2	0.016
670/1	0.017
671	0.029
672	0.086
673	0.018
674	0.134
678/1	0.078
678/3	0.026
683	0.065
682	0.021
681	0.060
684	0.050
685/1	0.012
686	0.029

	(1)	(2)
	687	0.017
योग	20	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गडुवा, खैरझिटी, डंगनिया, बोरिया, श्यामपुरकांपा, नवागांवकला मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-थानखम्हरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटीकला, प.ह.नं. 13/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1067	0.04
	1065	0.05
	1064/2	0.03
	1069	0.03
	1070	0.03
	1071	0.03
	1116/1	0.01
	1072	0.08
	1076	0.01
	1077	0.20
	1080/2	0.01
	1084/2	0.03
	1085/1	0.01
	1094/2	0.01
	1097	0.01
	1111	0.01
	1112	0.01
	1153/1	0.01
	1153/2	0.01
	1168	0.01
	1169	0.01
	1170	0.01
	1172	0.01
	1222/1	0.02
	1222/4	0.01
	553	0.01
	554	0.01
	560	0.02
	457/1	0.01
	464	0.01
	472/6	0.01
	474/1	0.01
	474/2	0.01
	475	0.01
	508	0.02
	1073	0.01
	207/1	0.03
	207/2	0.01
	207/3	0.01
	207/4	0.01
योग	40	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गडुवा, खैरझिटी, डंगनिया, बोरिया, श्यामपुरकांपा, नवागांवकला मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/06/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बेमेतरा
 (ख) तहसील-थानखम्हरिया
 (ग) नगर/ग्राम-हथमुड़ी, प.ह.नं. 14
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.040
8	0.040
10	0.030
11/2	0.030
12	0.020
योग 5	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गडुवा, खैरझिटी, डंगनिया, बोरिया, श्यामपुरकांपा, नवागांवकला मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/01/न.ग्रा.नि./2017.—यह सूचना दी जाती है कि डभरा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत तथा सभा पक्ष डभरा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) में दिनांक 05-01-2017 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

डभरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कुसुमझर, ठनगन, छुईपाली, कटेकोनीछोटे, हरदीडीह एवं ठाकुरपाली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कटेकोनीछोटे, ठाकुरपाली, हरदीडीह, चुराघाट, भेंडीकोना एवं सकराली ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम सकराली, उपनी, नवापारा एवं बसंतपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बसंतपुर, कुसुमझर एवं कतगन ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) द्वारा विचार किया जावेगा.

विमल कुमार बगवैया,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक 1502/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-राजपुर/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजपुर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधि०त मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत राजपुर में दिनांक 16-09-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

राजपुर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

राजपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बगाडी, बकसपुर, सेमरा एवं झींगो ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम झींगो, कोटागहना, लडुवा एवं नवापारा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम नवापारा, चटकपुर एवं राजपुर ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम राजपुर, नवकी एवं बगाड़ी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमन भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1502/T&CP/Ambikapur/DP-Rajpur/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Rajpur planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 16-09-2016 during office hours in the offices of the Collector District Balrampur-Ramanujganj, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Rajpur District Balrampur-Ramanujganj.

The limit of Rajpur Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limit of Rajpur Planning Area

NORTH	:	Village Bagadi, Bakaspur, Semra and upto the Northern limit of Jhingo.
EAST	:	Village Jhingo, Kotagahna, Laduwa and upto the Eastern limit of Nawapara.
SOUTH	:	Village Nawapara, Chatakpur and upto the Southern limit of Rajpur.
WEST	:	Village Rajpur, Nawki and upto the Western limit of Bagadi.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Chhattisgarh Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Ambikapur, Chhattisgarh.

अम्बिकापुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक 1507/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-लखनपुर/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि लखनपुर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला सरगुजा, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत लखनपुर में दिनांक 21-09-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

लखनपुर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

लखनपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम अंधला, लखनपुर, शिवपुर, भरतपुर, केवरा, सिरकोतंगा एवं रजपुरी (कला) ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम रजपुरी (कला), केवरा, केवरी एवं कोसंगा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कोसंगा, बंधा, कुंवरपुर एवं अंधला ग्राम की दक्षिण सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम अंधला ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जायेगा.

No. 1507/T&CP/Ambikapur/DP-Lakhanpur/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Lakhanpur planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy there of is available for inspection from date 21-09-2016 during office hours in the offices of the Collector District Surguja, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Lakhanpur District Surguja.

The limit of Lakhanpur Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limit of Lakhanpur Planning Area

NORTH	:	Village Andhla, Lakhanpur, Shivpur, Bharatpur, Keora, Sirkotanga and upto the Northern limit of Rajpuri kala.
EAST	:	Village Rajpuri kala, Keora, Keori and upto the Eastern limit of Kosanga.
SOUTH	:	Village Kosanga, Bandha, Kuwarpur and upto the Southern limit of Andhla.
WEST	:	Village upto the Western limit of Andhla

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Chhattisgarh Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Ambikapur, Chhattisgarh.

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 3 जनवरी 2017

क्रमांक 82/ई.एल.यू./नग्रानि./2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में गौरेला निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंध मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 4317, बिलासपुर दिनांक 08-07-2016 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट गौरेला निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

उत्तर में	:	ग्राम बेलगहना एवं गिरवर, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम गिरवर, टिकरकला, डुमरिहा, सेमरा, टिकरसानी एवं सारबहरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम सारबहरा एवं मडना ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम मडना, अंजनी, गोरखपुर एवं बेलगहना ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.).

No. 82/E.L.U../T&CP/2016.—The existing Land use map and register for the Gaurella planning Area existing land use map and register was published under sub section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 4317 date 08-07-2016 of Bilaspur.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use map and register of Gaurella planning Ara existing land use map and register so prepared and published are duly adopted by the Joint Director, Town & Country planning, under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be concusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt.

INDEX

NORTH	:	Village Belgahna and upto the North limit of Girwar.
EAST	:	Village Girwar, Tikarkala, Dumariya, Semra, Tikarsani and upto the East limit of Sarbahra.
SOUTH	:	Village Sarbahra and upto the South limit of Madna.
WEST	:	Village Madna, Anjani, Gorakhpur and upto the West limit of Belgahna.

The said adopted map and register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site :— Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्रमांक 20225/न.ग्रा.नि./2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में कूंरा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक/8728/नग्रानि/2016 रायपुर दिनांक 09 जून 2016 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24 जून 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट कूंरा निवेश क्षेत्र के ग्रामों की भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है, एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

कूंरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मुर्रा, पंडरभट्ठा, अकोली एवं तरपोंगी ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम तरपोंगी, मनहोरा, कुकेरा एवं कपसदा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कपसदा, कूंरा एवं बरतनारा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बरतनारा एवं मुर्रा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश आर.डी.ए. बिल्डींग शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.).

No. 20225/T&CP/2016.—The existing Land use map and register of Kura Planning Area was published in pursuance of sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 8728/T&CP/2016, Raipur dated 09 June 2016, in "Chhattisgarh Gazette" dated 24 June 2016.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of village of Kura Planning Area so prepared under published are duly adopted by the Joint Director, Town & Country Planning Raipur in pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Kura Planning Area Limits

NORTH	:	Village Murra, Pandarbhattha and upto the Northern limit of Akoli Village.
EAST	:	Village Tarpongi, Manhora, Kukera and upto the Eastern limit of Kapasada Village.
SOUTH	:	Village Kapasada, Kura and upto the Southern limit of Baratnara Village.
WEST	:	Village Baratnara and upto the Western limit of Murra Village.

The said adopted maps and register shall be available for inspection of general public at following place during office hours, except holidays for the period of 15 days from the publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Place of Inspection :— Office of the Joint Director, Town & Country Planning R.D.A. Building, Shastri Chowk Raipur (C.G.)

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक 02/नग्रानि/2016.— कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 12621 दिनांक 05 अगस्त 2016 [छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) भाग-1 दिनांक 25 नवम्बर 2016] के पृष्ठ क्रमांक 2097 के पैरा नंबर-2 में त्रुटिवश संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के स्थान पर "संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश" उल्लेखित किया गया है कृपया संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के स्थान "संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छ.ग." पढ़ा जावे.

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

शुद्धि पत्र

क्रमांक 2219/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र. प्लान गण्डई/2016.— कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1435 दिनांक 30 जुलाई 2016 [छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) भाग-1 क्र. 50 दिनांक 09 दिसंबर 2016] के पृष्ठ क्रमांक 2186-2187 के पैरा नंबर-2 में त्रुटिवश उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय राजनांदगांव के स्थान पर "संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग" उल्लेखित किया गया है कृपया संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्थान पर "उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय राजनांदगांव छ.ग." पढ़ा जावे.

एल. एल. राठौर,
उप-संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 21st March 2017

No. 389/Confdl./2017/II-1-2/2017.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/01/2017-US.II dated 10-03-2017 of the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Thottathil Bhaskaran Nair Radhakrishnan, Judge of the Kerala High Court has assumed charge of the office of the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh in the afternoon of 18th March, 2017.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.